BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINICIPAL BENCH NEW DELHI
Original Application No. 902/2024

IN THE MATTER OF:

RAM SARAN GUSAIN .... APPLICANT
S/O RADHEY SHYAM GUSAIN

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response affidavit in compliance of the order dated 18.02.2025 on behalf of Respondent no 2. District Magistrate, Dehradun	1-8
2.	Annexure 1 Copy of the order dated 18.02.2025	9-10
3.	Annexure 2 Copy of the letter dated 18.11.2023	11
4.	Annexure 3 Copy of letter dated 17.03.2025	12-19
5.	Annexure 4 Copy of letter dated 28.12.2023	20-21
6.	Annexure 5 Copy of letter dated 04.01.2024	22
7.	Annexure 6 Copy of letter dated 06.11.2023	23-24
8.	Annexure 7 Copy of letter dated 06.11.2023	25
9.	Annexure 8 Copy of the letter dated 18.11.2023	26

Dated: 03.04.2025

Adv Anjali Rajput
Panel Counsel State of Uttarakhand
Chamber no 136, M.C. Setalvad Block,
Supreme Court Of India,
New Delhi-110001
9811777368
Advanjali.rajput@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINICIPAL BENCH NEW DELHI

Original Application No. 902/2024

IN THE MATTER OF:

RAM SARAN GUSAIN ....APPLICANT
S/O RADHEY SHYAM GUSAIN

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. ... RESPONDENTS

RESPONSE AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 18.02.2025 ON BEHALF Of RESPONDENT NO. 2 DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN.

Most respectfully showeth:

That Savin Bansal, aged about 40 years S/o Sh. Shashi Bansal currently posted as District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand, hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the above mentioned Original application was listed for hearing in 18.02.2025 wherein Hon'ble bench was pleased to issue following directions:

> *"5. Respondent no. 6 has also submitted that he executed work of dredging strictly in accordance with the terms and conditions of the permit and did not violate any environmental norms. He merely removed the material deposited by floods on the platforms/ghats referable to dredging and did not carry out any mining.*
>
> *6. The District Magistrate, Dehradun and respondent no. 6-Akash Jain seek time for filing additional responses.*
>
> *7. Additional responses be filed by them at least 3 days before the date of hearing fixed.*

8. Any response filed after the stipulated period will not be taken on record without permission of this Tribunal and without deposit of appropriate cost, as may be fixed by this Tribunal, by the concerned respondent.

9. List on 07.04.2025 for further consideration.

10. The District Magistrate, Dehradun shall appear on that date through V.C and respondent no.6- Akash Jain shall appear physically on that date."

That the copy of the order is annexed herewith as Annexure-1

2. That in the compliance of the directions in the order dated18.02.2025, it is humbly stated that the no license for a mining lease was granted by the then District Magistrate to the Respondent No. 6 in the river Ganga at the Triveni Ghat area of Rishikesh. Due to accumulation of huge quantity of silt at the platform of Triveni Ghat after the receding of waters at the end of rainy season, SDM, Rishikesh held an auction for the removal of silt/RBM from the platform of Triveni Ghat. Rule 14(5) a of Uttarakhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transport and Storage) Rules, 2021 provides for the ceasing of the illegal stocks of minerals and disposing them off after an open auction. Ravanna was duly issued to the highest bidder, Respondent no. 6, who was granted with the license for the transportation of acquired RBM from the site. For the disposal of such stocks there is no provision for getting environmental clearance(EC) under the above mentioned State Rules 2021.

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

In addition to that rule 217 & 218 of the General Finance Rules (GFR), 2017 also provides for the disposal of any unclaimed material by the process of an open public auction.

3. That, River Dredging Policy 2021 also allows the disposal/removal of muck/silt/RBM to channelise the flow of river in the middle of the river bed. Under the policy open auctions are conducted to grant licenses after receiving the applications for the dredging work from private individuals. The licenses are granted for a maximum period of 06 months by the District Magistrate concerned, drawing the powers given under Disaster Management Act, 2005. E-ravannas are duly issued for the transportation of dredged material. There is no provision for getting the EC (Environmental Clearance) according to the EIA Notification of Minsitry of Enviornment, Forest & Climate Change of Govt. of India dated 14-09-2006 for the dredging work whereas EC is mandatory for the grant of Mining Lease according to Rule 25(2) of the Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023. It is also submitted thatRiver Dredging Policy also allows the use of machines for the dredging work.

4. That an open auction was conducted on 27.10.2023 by SDM Rishikesh for the removal of silt/RBM and it was awarded to the highest bidder Respondent no. 6 after due approval from the then District Magistrate on 03.11.2023. After depositing Rs. 1,19,695/ against royalty charges of the

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

RBM and other mandatory dues, Respondent no. 6 was granted license for the removal of the RBM from 07.11.2023 to 16.11.2023 vide letter dated 6.11.2023. On his application dated 06-11-2023 for the extention of period expressing his unability to do the work during the permitted time due to nearing 'Diwali' and 'Chhatt festivals', he was given license for work from 18.11.2023 to 8.12.2023, for a further period of 20 days vide. letter dated 18.11.2023 of the office of the then District Magistrate. **Copy of letter 18-11-2023 is annexed herewith as Annexure-2.**

5. That according to the official records of the mining section, the letter/complaint dated 01-12-2023 which is said to be sent by the complainant has never been received in the office of the answering Respondent .

That,a factual report was also sought from the then SDM, Rishikesh, Sh. Yogesh Mehra. In his report dated 17.03.2025 it was mentioned that due to complaints against the license holder being received from different quarters, he was given a show cause notice on 24.11.2023 as to why the license issued to him shouldn't be cancelled forthwith for non compliance of the terms and conditions of the permission granted to him. The copy of the notice was also sent to Tehsildar, Rishikesh and SHO, Rishikesh for getting the photographs and video-recordings provided by the complainant to get them matched with the available C.C.T.V. recordings at Triveni Ghat area. **Copy of letter dated 17-03-2025 is annexed herewith as Annexure-3.**

Although SDM Rishikesh didn't receive any report from Tehsildar and SHO jointly but Tehsildar Rishikesh informed him that during the random checkings of the area in compliance of his directions, no mining activity came to light.

The Respondent no. 6 in his reply to the notice served by the SDM Rishikesh had mentioned that he had always complied with the terms and conditions of the licence and that the period which he was granted permission for i.e. 07.11.2023 to 16.11.2023 being a festive season of 'Diwali' and 'Chhat Puja' and also the area around the site being a very congested/crowded market area, it was not possible to transport RBM during the day time. He also referred to the fact that the work had been stopped since the day he was directed from the office of the SDM not to extend the period of work beyond sunset. He also explained that a team of Tehsil staff used to visit the site randomly on a daily basis and had not found anything related to illegal mining there.

6. That in his letter No. 1404 dated 28-12-2023. SDM, Rishikesh has mentioned that the respondent No.6 was directed to get the work completed within the stipulated time during his visit to the Triveni Ghat area of Rishikesh on 05-12-2024 as he found that no work was going on at the site, a fact also mentioned by the Respondent no. 6 in his reply dated 26.11.23. SDM Rishikesh also told the license holder that he was asked to complete the removal of the remaining quantity of RBM and not to stop it altogether.

NOTARY ★ Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.-09/01/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

The remaining quantity of RBM was assessed at the spot which was found to be 242.00 cubic metres. Triveni Ghat area being a famous religious and tourist spot and the possibility of completion of the work by the license holder within the time frame being bleak, it was requested/suggested by the SDM, Rishikesh to get the remaining quantity of RBM removed with the help of Nagar Nigam Rishikesh using pressure pipes as mentioned by him in his letter dated 28-12-2023 sent to the office of the answering Respondent. Thereafter Mukhya Nagar Ayukt, Nagar Nigam Rishikesh was directed to remove the RBM left undisposed in the area vide letter No. 1257/Khanij Anubhag/2024 dated 04-01-2024. **Copy of letter dated 28-12-2023 is annexed as Annexure-4 & copy of letter dated 04-01-2024 is annexed herewith as Annexure-5.**

7. That according to status reflected in Uttarakhand Government's Mining Lease Monitoring System, Respondent No.6 transported RBM/Mineral on 18-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023 and 04-12-2023 for 6 days only. Respondent 6 has also mentioned in his reply dated 26-11-2023 to the notice served to him by SDM Rishikesh that the local administration has stopped his work at the site w.e.f. 24-11-2023. This fact is also being established from the perusal of report of SDM, Rishikesh dated 28-12-2023 that no work was going on at the site during the visit of SDM, Rishikesh to the Triveni Ghat area on 05-12-2023. The license holder/respondent

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.-09/01/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

No. 6 in his reply dated 26-11-2023 alongwith other details had also mentioned that the local administration had stopped (Already annexed as Annexure-4) his work at the site w.e.f. 24-11-2023. **Copy of reply dated 26-11-2023 is annexed herewith as Annexure-6.**

Uttarakhand Government's Mining Lease Monitoring System also shows that out of total quantity of 1253.70 Tons, the Respondent No. 6 had removed 854.00 Tons of RBM only and 399.70 Tons of RBM was left undisposed.

8. That the Answering Respondent doesn't intend to defend anyone but it is clear from the perusal of the records as above that the Respondent no. 6 was granted permission vide order dated 06.11.2023 which was granted for a period from 7.11.23 to 16.11.23 but he again moved an application for the extention of the period further due to ongoing festive season. Afterwards he was given permission from 18.11.2023 to 8.12.2023 vide order dated 18-11-2023. During this period he transported RBM only on 06 days/dates as mentioned in the para above. This is to be emphasised again that he was granted permission for the removal/transportation of RBM from the Platform of Triveni Ghat and not from the river bed. **Copy of order dated 06-11-2023 is annexed herewith as Annexure-7 and copy of order dated 18-11-2023 is annexed herwith as Annexure-8.**

9. That persuent to the letter of SDM, Rishikesh, Mukhya Nagar Aayukt, Nagar Nigam, Rishikesh was directed to remove the remaining RBM from Triveni ghat and adjoining areas with the help of pressure pipes. The remaining RBM was cleaned by Nagar Nigam Rishikesh accordingly and ghats were restored for the pilgrims.

10. That the whole exercise was done in the interest of the state and while the possibility of illegal mining can never be ruled out completely, all the required safeguards were duely taken by the then District Magistrate and the SDM Rishikesh to check the possibility of illegal mining during the permitted period.

11. That the deponent is a responsible government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and the orders passed by them.

Deponent

Verification:

Verified at Dehradun on this 03 day of 04 2025, that the contents of the accompanying compliane affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official recoed and nothing is false and no material has been concealed therefrom.

affidavit is sworn before me by ... is identified Shri Rajeev Acharya Adv Dehradun on 3/4/2025

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

NOTARY ★ Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.-08/01/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

Deponent.

Identified by

RAJEEV ACHARYA Advocate
D.G.C. (CIVIL) D.DUN
Reg. No.:- UK2076/2004
UP 798/1991
Mobile: 9719054541

ANNEXURE-1

Item No.07 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 902/2024
(I.A. No. 694/2024, I.A. No. 26/2025)

Ram Saran Gusain Son of Radhey Shyam Gusain — Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. — Respondents

Date of hearing: 18.02.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Sanjeev Uniyal, AAG with Ms. Anjali Rajput and Mr. Sachin Chandela, Advocates for respondents no. 1 to 4.
Mr. Savin Bansal, DM, Dehradun.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for respondent no.5-UKPCB (through VC).
Mr. Akash Jain in person- respondent no.6.

ORDER

1. Supplementary affidavit dated 15.01.2025 has been filed by respondent no. 6.

2. Mr. Savin Bansal -District Magistrate, Dehradun has appeared through VC.

3. In the course of hearing, it has been brought to our notice that complaint dated 01.12.2023 was also made to the District Magistrate, Dehradun.

4. Respondent no. 6, who is present in person has stated that notice was also issued to him in respect to the complaint submitted against him.

5. Respondent no. 6 has also submitted that he executed work of dredging strictly in accordance with the terms and conditions of the permit and did not violate any environmental norms. He merely removed the material deposited by floods on the platforms/ghats referable to dredging and did not carry out any mining.

6. The District Magistrate, Dehradun and respondent no. 6-Akash Jain seek time for filing additional responses.

7. Additional responses be filed by them at least 3 days before the date of hearing fixed.

8. Any response filed after the stipulated period will not be taken on record without permission of this Tribunal and without deposit of appropriate cost, as may be fixed by this Tribunal, by the concerned respondent.

9. List on 07.04.2025 for further consideration.

10. The District Magistrate, Dehradun shall appear on that date through V.C and respondent no.6- Akash Jain shall appear physically on that date.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 18th, 2025
Original Application No. 902/2024
(IA NO 694/2024, IA NO 26/2025)
AB

: : संशोधित आदेश : :

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या–1238/एस0पी0ए0–विविध पत्रा0/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 एवं उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा प्रेषित तहसीलदार ऋषिकेश के पत्र संख्या–1019/आर0सी0–नीलामी–2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2023 के आधार पर तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उप खनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर की नीलामी दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न हुई है, जिसमें उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा रू0 96,000.00 लगाई गयी। बोलीदाता के द्वारा रायल्टी की धनराशि रॉयल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1,755.00 तथा रॉयल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 8776.00 तथा रॉयल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यारा हेतु रू0 13,164.00 तथा रायल्टी उच्चतम बोली के रूप में 96,000.00 को लेखाशीर्षक एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करा दिये गये है।

एतदद्वारा निम्न लिखित शर्तो के अधीन उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर के परिवहन हेतु पुनः दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 08.12.2023 अर्थात् 20 दिन की अनुमति निम्न लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1– अनुज्ञाधारक अनुमत स्थल से उपखनिज की नीकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुँचे।

2– अनुज्ञाधारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष/सड़क को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचायेगा।

3– अनुज्ञाधारक द्वारा डम्पिंग जोन से रेत उपखनिज का परिवहन करते समय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

4– अनुज्ञाधारक को उक्त कार्य उपरोक्त अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

5– अनुज्ञाधारक प्रस्तावित स्थल से उत्खनिज उपखनिज को अन्यत्र प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम०एम०–11 पर करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 01 से 05 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

ह0/–
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
17.11.2023

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1184 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून।

5– उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर प्रगति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करा लिया जाय।

6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सुभाष रोड देहरादून।

7– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।

8– थानाध्यक्ष, थाना ऋषिकेश।

9– श्री आकाश जैन पुत्र श्री श्री मुकेश मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

ANNEXURE-3

कार्यालय उपजिलाधिकारी चकराता/त्यूनी।

संख्या– 67 /एस0टी0/2025 दिनांक 17 मार्च, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषय– श्री आकाश जैन के विरूद्ध की गयी शिकायतों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या–2041/खनिज–अनु0/2025 दिनांक 07 मार्च 2025 क्रम में आख्या निम्नवत् हैः–

1– जिलाधिकारी महोदय देहरादून के आदेश संख्या 1161/खजिन–अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा त्रिवेणी घाट में जमा उप खनिज के निस्तारण हेतु दिनांक 07.11.2023 से 16.11.2023 तक 10 दिनों की अनुमति सशर्त अनुज्ञाधारक श्री आकाश जैन को प्रदान की गई, तथा जिलाधिकारी महोदय, देहरादून के संशोधित आदेश सं0 1184/खजिन–अनु/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 08.12.2023 तक पुनः सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।

2– उपरोक्त के क्रम में माह नवम्बर 2023 में कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से सूर्यास्त के उपरान्त मशीनों द्वारा मलवा उठान किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत करते हुए कुछ फोटोग्राप्स/वीडियो अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किये गये थे। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुज्ञाधारक को दूरभाष एवं व्हाट्सअप के माध्यम से सूर्यास्त के उपरान्त मलवा उठान का कार्य न किये जाने एवं अनुज्ञा की शर्तो का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया **(व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न–01)** एवं अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1420/एस0पी0ए0–विविध पत्रा0–2023 दिनांक 24 नवम्बर, 2023 द्वारा श्री आकाश जैन को एक नोटिस प्रेषित किया गया एवं तहसीलदार ऋषिकेश एवं थानाध्यक्ष ऋषिकेश को प्राप्त फोटो/वीडियो अग्रसारित करवाते हुए त्रिवेणी घाट मार्ग के सी0सी0टीवी0 से उक्त का मिलान कर सत्यता के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या 02 दिवस भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। **(प्रेषित नोटिस की छायाप्रति संलग्न–02)** उक्त सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या प्राप्त नही हुई। नोटिस प्राप्त कर्ता श्री आकाश जैन द्वारा दिनांक 28.11.2023 को नोटिस का प्रतिउत्तर दिया गया।**(संलग्नक 03)** इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्राप्त शिकायतों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसीलदार ऋषिकेश को सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक श्री शोभाराम जोशी के माध्यम से दैनिक रूप से उक्त क्षेत्र का मुआयना करने के लिये भी निर्देशित किया गया जिसके क्रम में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किये गये तथा तहसीलदार ऋषिकेश के माध्यम से व्हाट्सअप पर सूचना भी प्रेषित की जिसमें मौका स्थल पर जे0सी0बी0 इत्यादि के माध्यम से कोई भी खनन गतिविधि प्रकाश में नही आने सम्बन्धी रिपोर्ट भी प्रेषित की गयी।**(व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न–04)**

3–चूंकि अनुज्ञाधारक को 18.11.2023 से 08.12.2023 तक जिलाधिकारी महोदय देहरादून के संशोधित आदेश संख्या 1184/खजिन–अनु/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023 द्वारा पुनः सशर्त अनुमति प्रदान की गयी थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.12.2023 को पुनः त्रिवेणी घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था, अनुज्ञाधारक द्वारा मौका स्थल से निर्धारित अवधि में मलवा उठान की सम्भावना न पाये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक को मौके पर बुलाकर नगर आयुक्त ऋषिकेश एवं तहसीलदार ऋषिकेश के समक्ष उप खनिज का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

4– त्रिवेणी घाट क्षेत्र धार्मिक पर्यटक स्थल क्षेत्र होने की दशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 1517/एस0पी0ए0– विधि पत्रा0–2023 दिनांक 17 दिसम्बर, 2023 द्वारा जिला खान अधिकारी, देहरादून एवं तहसीलदार ऋषिकेश को अवशेष उपखनिज को मात्रा का आंकलन करते हुए उसके उठान/परिवहन के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या हेतु निर्देशित किया गया। **(संलग्नक 05)** जिसके कम में दिनांक 26.12.2023 को संयुक्त जांच आख्या प्राप्त हुई **(संलग्नक 06)** जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्र संख्या–1440/एस0पी0ए0/2023 दिनांक 328 दिसम्बर 2023 द्वारा जिलाधिकारी महोदय देहरादून को प्रेषित कर अवशेष मलवे को निस्तारित किये जाने हेतु नगर निगम ऋषिकेश को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया।**(संलग्नक 07)** जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय देहरादून के पत्र सं0–1257/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश को प्रेशर पाईप के माध्यम से अवशेष मलवा निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।**(संलग्नक 08)**

5– उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी का स्थानान्तरण 09 फरवरी 2024 को तहसील ऋषिकेश से तहसील चकराता में हो गया था। उपरोक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0–64/एस0टी0/2025 दिनांक 17 मार्च 2025 के कम में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश कार्यालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किये गये अभिलेखों की छायाप्रतियों के आधार पर प्रेषित की गयी है।**(संलग्नक 09)**

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(योगेश सिंह मेहरा)
उप जिलाधिकारी
चकराता/त्यूनी।

[चैट दिनांक 24/11/25]

:21 58%

Akash Jain

No work should be done after sunset
6:13 pm

In any condition 6:13 pm

You
No work should be done after sunset

Sir in day it is not possible to work there in such crowd and market 6:13 pm

Conditions of nilami should be followed
6:14 pm

Ok sir 🙏 6:21 pm

I will try my best 6:21 pm

Kal se apko na machine milegi sir na dumper

I will arrange tractor and labour

Bs sir need support from market 6:56 pm

(2)

कार्यालय उप जिलाधिकारी ऋषिकेश जनपद देहरादून।

संख्या:– 1420 /एस0पी0ए0–विविध पत्रा0–2023

दिनांक 24 नवम्बर 2023

:: नोटिस ::

श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन,
निवासी 344 श्यामपुर ऋषिकेश।

विषय– दिनांक 18.11.2023 से 8.12.2023 तक त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठान हेतु आपको दी गई अनुमति के क्रम में अनियमितता बरतने विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, देहरादून के पत्र संख्या 1184 / खनिज–अनु0 / 2023 दिनांक 18.11.2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 8.12.2023 तक त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठान हेतु आपको अनुमति दी गई है। उक्त अनुमति हेतु नीलामी की तिथि दिनांक 27.10.2023 को नीलामी की शर्तों में स्पष्ट किया गया था कि किसी भी दशा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात RBM की निकासी नहीं की जाएगी, किन्तु विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि उक्त शर्त का अनुपालन ना करते हुये आपके द्वारा रात्रि के समय मशीनों द्वारा मलवा उठान आदि का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के साथ फोटो एवं वीडियो भी प्राप्त हुये है। जिनकी जांच गतिमान है, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नीलामी की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आप दिनांक 28.11.2023 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि क्यूँ ना आपकी नीलामी आवंटन को निरस्त करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाए।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि– तहसीलदार ऋषिकेश/थानाध्यक्ष ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राप्त शिकायतों के क्रम में उपलब्ध कराए गए फोटो/वीडियों की त्रिवेणी घाट मार्ग के सी0सी0टी0सी0 से मिलान कर सत्यता के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या 02 दिवस भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

प्राप्त २४/11/2023

सेवा में,

दिनांक: 26/11/2023

उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील ऋषिकेश
जिला - देहरादून

विषय :- त्रिवेणी घाट से रेत निस्तारण को हुई नीलामी के सम्बन्ध में |

महोदय,

जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 1161 दिनांक 06 नवम्बर 2023 एवं पत्र संख्या 1184 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के सन्दर्भ में प्रार्थी को आपका नोटिस संख्या 1420 दिनांक 24 नवम्बर 2023 व्हाट्सप्प के माध्यम से प्राप्त हुआ | महोदय प्रार्थी को आवंटित रेत का निस्तारण करने का आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से मिला था जिसमे कुछ शर्ते लिखी थी जिनका प्रार्थी ने पूर्ण रूप से पालन किया था | प्रार्थी ने उक्त काम में कोई भी अनियमित्ता नहीं बरती तथा जो भी कार्य हुआ वह तहसील एवं पुलिस प्रशासन एवं गंगा सभा की मौजूदगी में हुआ है |

महोदय जो भी अनियमितताएं या फिर सूर्यास्त के बाद काम का हवाला दिया गया वह प्रशासन की रजामंदी से ही हुआ है कुकी छठ एवं दीपावली का त्यौहार की वजह से मार्किट एरिया होने के कारण दिन में वह से रेता निकासी संभव नहीं है | जिस दिन से आपके यह से सूर्योदय के बाद काम न करने की हिदायत मिली उस दिन से काम बंद है कुकी दिन में निकासी एवं रात को लेवर कार्य नहीं कर सकती | यह परिस्थिति से तहसीलदार महोदय को नीलामी वाले दिन भी अवगत करा दिया गया था |

1. प्रार्थी ने स्थल से कोई RBM नहीं उठाया है |
2. प्रार्थी ने जिलाधिकारी कार्यालयादेश पत्र में अनुमोदित पांचो शर्तो का कोई उलंघ्यन नहीं किया है तथा पांचो शर्तो का पूर्ण रूप से पालन किया है |
3. दिन में उस जगह पर्यटक स्थल एवं मार्किट होने से कार्य नहीं किया जा सकता |
4. छठ से पहले तक हमारे कार्य से किसी को दिक्कत नहीं थी किन्तु जिस दिन से ब्लैकमेलर रामकृपाल गौतम एवं पत्रकार कृष्ण मुरारी जिसने हमरी मशीन तोड़ी की रिपोर्ट कराई तबसे हमे मौके पर कार्य करने में अप्पत्ति आ गयी |
5. आप मौके के सी० सी० टी० वी० फुटेज , प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया फोटोग्राफ्स एवं 18 नवम्बर से रोजाना आपकी तहसील के अधिकारिओ द्वारा कराई गयी जांच एवं विजिट से तथा वर्तमान की स्थिति देख सकते है की मौके पर किसी प्रकार द्वारा कोई गड्ढा नहीं खोदा गया |
6. जो विडिओ एवं फोटोग्राफ्स मिले है वो प्रार्थी के साइट के नहीं हैं वो फ्रेम करके पुराने एवं अन्य जगह के हैं आप मौका निरिक्षण करके पता कर सकते है की मौके पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा |
7. वहाँ की फुटेज देख कर आपको पता लगेगा की 18 एवं 19 तारिख को वहाँ पर प्रार्थी के अलावा दो मशीन किसी लोकल असामाजिक तत्वों ने मंगाई थी, जो की वह पर प्रार्थी के द्वारा नीलामी में लिया गया उपखनिज से छेड़छाड़ की एवं उठा के गंगाजी में डाला गया |
8. प्रार्थी अपना पक्ष रखते हुए आपको यह बताना चाहता है की प्रार्थी को जो काम रेत निस्तारण का मिला है वह कोई खनन नहीं है जो नदी तल या किसी भूमि विशेष पर चल रहा हो, यह एक पर्यटक स्थल एवं सरकारी भूमि के ऊपर एकत्रित रेत है जो की एक प्लेटफार्म पर भण्डारण किया हुआ है, अतः महोदय इसमें मशीन या लोडर से रेत का उठान मान्य होना चाहिए |
9. वह स्थल एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर 24 घण्टे प्रयटक एवं साधु संत समाज उपस्थित रहता है, जगह जगह सी० सी० टी० वी० लगे हुए हैं अतः वहां पर किसी प्रकार से अवैध खनन करने का मौका असंभव है, प्रार्थी ने उक्त स्थल पर कोई अवैध खनन नहीं किया है|

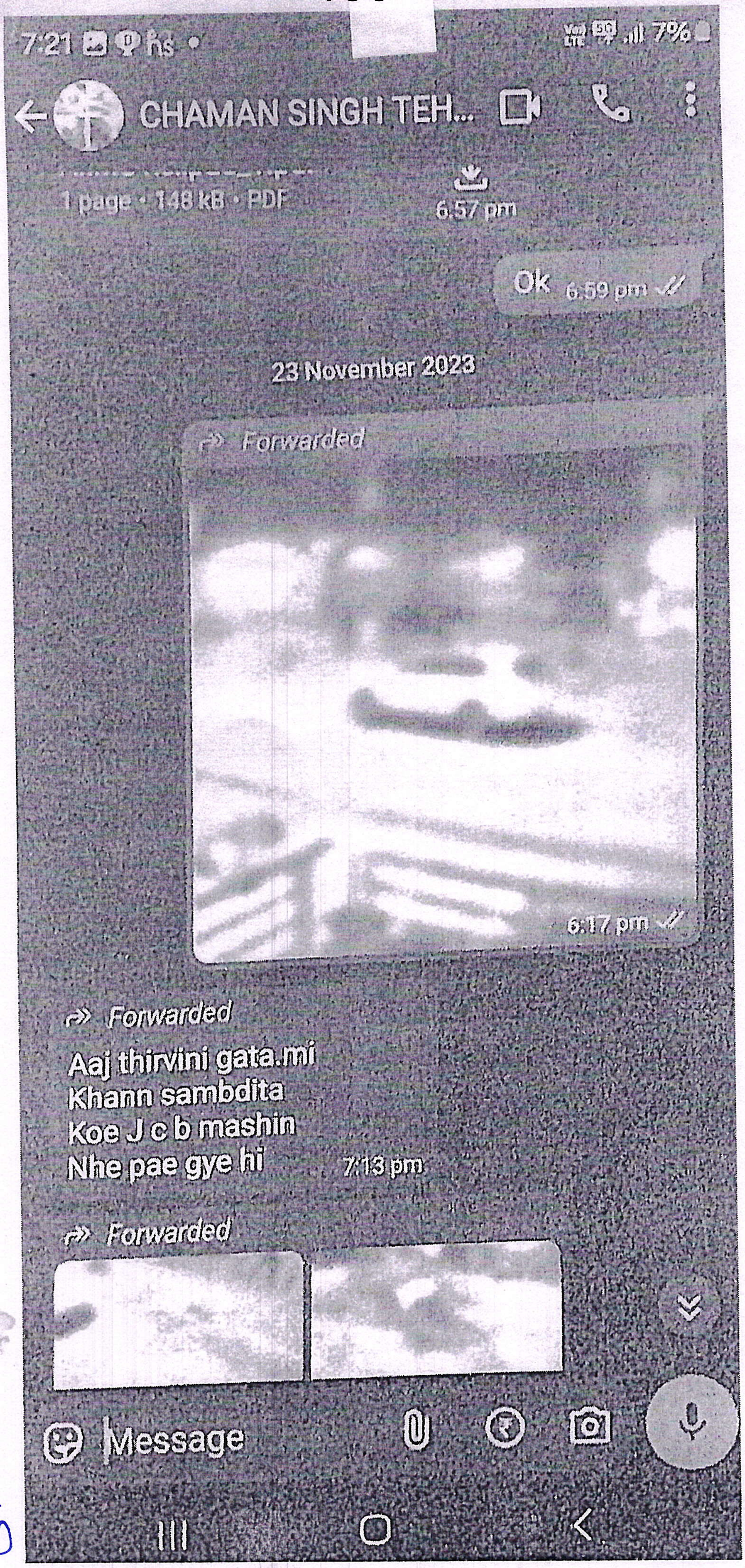
7:21
7%
CHAMAN SINGH TEH...
1 page · 148 kB · PDF
6.57 pm
Ok 6.59 pm
23 November 2023
Forwarded
6:17 pm
Forwarded
Aaj thirvini gata.mi
Khann sambdita
Koe J c b mashin
Nhe pae gye hi
7:13 pm
Forwarded
Message

कार्यालय उप जिलाधिकारी ऋषिकेश जनपद देहरादून।

संख्याः– 1517/एस0पी0ए0– विविध पत्रा0–2023 दिनांक 17 दिसम्बर 2023

1– जिला खान अधिकारी,
देहरादून।

2– तहसीलदार,
ऋषिकेश।

विषय– श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय देहरादून के संलग्न पत्र संख्या–1161/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश को त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से उप खनिज/मलवा उठाने हेतु दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 16.11.2023 कुल 10 दिन निर्धारित अनुमति एवं जिलाधिकारी महोदय देहरादून के संलग्न कार्यालय पत्रांक 1184/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 08.12.2023 कुल 20 दिन निर्धारित अनुमति दी गयी थी।

श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश के द्वारा त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से उक्त निर्धारित समया अवधि मे उप खनिज (रेत) उठान/परिवहन का कार्य किया गया है तथा अभी–भी उक्त स्थल पर उप खनिज (रेत) का जमाव/भण्डारण बना हुआ है।

अतः आप मौका स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हुये मौके पर अवशेष उप खनिज (रेत) की मात्रा का आंकलन करते हुये उसके उठान/परिवहन करने के सम्बन्ध में नियमानुसार सुस्पष्ट संयुक्त जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यायल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

संयुक्त जॉच आख्या।

उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र सं0 1517/एस0पी0ए0-विविध पत्रा-2023 दिनाक 17 दिसम्बर 2023 पर तहसीलदार महोदय ऋषिकेश के पृष्ठांकित आदेश दिनाकं 17 दिसम्बर 2023 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी गणों द्वारा मौका स्थल पर जाकर प्रकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश को खनन मोहर्रिर ऋषिकेश द्वारा स्थलीय जॉच के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये मौका स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया। परन्तु अनुज्ञाधारक श्री आकाश जैन मौके पर उपस्थित नही हुये एंव न ही अपने किसी प्रतिनिधि को मौके पर उपस्थित होने हेतु भेजा गया। महोदय मानसून काल में अतिवृष्टि के कारण त्रिवेणी घाट पार्किग में सिल्ट जमा हो गया था। जिसका राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम ऋषिकेश, खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के दौरान उप खनिज की कुल मात्रा 696.50 घनमीटर=696.50x1.8=1253.7 टन मापी गई थी। जिसकी नीलामी उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश के पत्रांक 1263/एस0पी0ए0-नीलामी सू0-2023 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के माध्यम से नीलामी की शर्ते व सूचना प्रकाशित की गई। दिनांक 27.10.2023 को नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में नीलामी सम्पन्न की गई, अधिकतम बोलीदाता श्री आकाश जैन को जिलाधिकारी महोदय देहरादून के आदेश संख्या 1161/खानिज-अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा त्रिवेणी घाट में जमा उप खनिज के निस्तारण हेतु दिनांक 07.11.2023 से 16.11.2023 तक 10 दिनों की अनुमति सशर्त प्रदान की गई, तथा जिलाधिकारी महोदय देहरादून के संशोधित आदेश सं0 1184/खनिज-अनु0/2023 दिनाक 18 नवम्बर 2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 08.12.2023 तक पुनः सर्शत अनुमति प्रदान की गई। विभिन्न माध्यमों से अनुज्ञाधारक श्री आकश जैन के विरूद्ध उप खनिज के निस्तारण में की जा रही अनियमितताें के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी महोदय को शिकायतें प्राप्त होने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्री आकाश जैन को पत्र सं0 1420/एस0पी0ए0-विविध पत्रा0-2023 दिनांक 24 नवम्बर 2023 के माध्यम से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितओं से इनकार किया गया। दिनांक 05.12.2023 को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा राजकीय कार्य से त्रिवेणी घाट का भ्रमण किया गया, महोदय द्वारा मौके पर उप खनिज का निस्तारण न किये जाने की स्थिति में महोदय द्वारा अनुज्ञाधारक को मौके पर बुलाकर नगर आयुक्त महोदय ऋषिकेश, तहसीलदार महोदय ऋषिकेश आदि के समक्ष उप खनिज का निस्तारण न करने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये निर्धारित समयावधि में उप खनिज का निस्तारण नियमानुसार ततपरता से करने हेतु आदेशित किया गया, तथा यह भी अवगत कराया कि पूर्व में भी आपको नियमानुसार उप खनिज का निस्तारण हेतु आदेशित किया गया है न की कार्य बन्द करने हेतु बोला गया है।

महोदय मौके पर अनिस्तारित उप खनिज की पैमाईश की गई जो निम्नवत हैः

(1) लम्बाई 13 मीटर x चौडाई 11 मीटर x ऊंचाई 1 मीटर =143 घन मी0

(2) लम्बाई 14 मीटर x चौडाई 11 मीटर x ऊंचाई 0.2 मीटर =30.0 घन मी0

(3) लम्बाई 50 मीटर x चौडाई 2 मीटर x ऊंचाई 0.5 मीटर = 50.0 घन मी0

(4) लम्बाई 8 मीटर x चौडाई 2 मीटर x ऊंचाई 1.2 मीटर = 19.2 घन मी0

कुल = 242. घन मी0

महोदय त्रिवेणी घाट एक ऐताहसिक धार्मिक स्थल है जहॉ देश भर से पर्यटक त्रिवेणी घाट मॉ गंगा की आरती हेतु भ्रमण पर आते है तथा उक्त स्थल पर महानुभावों का आवागमन भी समय-समय पर होता रहता है। शहर वासियों द्वारा उक्त स्थल पर समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी अयोजित किये जाते है। उपरोक्त उप खनिज का निस्तारण जल्द से जल्द किये जाने हेतु ही विज्ञाप्ति जारी की गई थी ऐसे में दो बार समयवाधि मिलने के उपरान्त भी उप खनिज का निस्तारण न किया जाना अफसोस का विषय है महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त उप खनिज के निस्तारण हेतु संयुक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा प्रेषित।

26/12/2023

(शोभाराम जोशी)
राजस्व उप निरीक्षक
ऋषिकेश।

26/12/23

(प्रतिमा)
खनिज मोहर्रिर
ऋषिकेश।

ANNEXURE-H

(6) (7)

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

पत्र सं0 1505 /एस0पी0ए0/2023 दिनांक 28 दिसम्बर 2023

विषयः- श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट (ऋषिकेश) से मलवा उठाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि त्रिवेणी घाट आतिथि तक पूर्णतः मलवा न उठाये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार ऋषिकेश एंव खनिज मोहर्रिर ऋषिकेश से स्थलीय निरीक्षण एंव संयुक्त जाँच आख्या प्राप्त की गई।

तहसीलदार ऋषिकेश ने अपने पत्र संख्या 1151/आर0सी0/2023 दिनांक 26 दिसम्बर 2023 के द्वारा अवगत कराया है कि स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, निवासी श्यामपुर ऋषिकेश को खनन मोहर्रिर ऋषिकेश द्वारा स्थलीय जाँच के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये मौका स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया। परन्तु अनुज्ञाधारक श्री आकाश जैन मौके पर उपस्थित नही हुये एंव न ही अपने किसी प्रतिनिधि को मौके पर उपस्थित होने हेतु भेजा गया। महोदय मानसून काल में अतिवृष्टि के कारण त्रिवेणी घाट पार्किंग में सिल्ट जमा हो गया था। जिसका राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम ऋषिकेश, खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के दौरान उप खनिज की कुल मात्रा 696.50 घनमीटर=696.50x1.8=1253.7 टन मापी गई थी। जिसकी नीलामी उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश के पत्रांक 1263/एस0पी0ए0-नीलामी सू0-2023 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के माध्यम से नीलामी की शर्ते व सूचना प्रकाशित की गई। दिनांक 27.10.2023 को नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में नीलामी सम्पन्न की गई, अधिकतम बोलीदाता श्री आकाश जैन को जिलाधिकारी महोदय देहरादून के आदेश संख्या 1161/खनिज-अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा त्रिवेणी घाट में जमा उप खनिज के निस्तारण हेतु दिनांक 07.11.2023 से 16.11.2023 तक 10 दिनों की अनुमति सशर्त प्रदान की गई, तथा जिलाधिकारी महोदय देहरादून के संशोधित आदेश सं0 1184/खनिज-अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 08.12.2023 तक पुनः सशर्त अनुमति प्रदान की गई। विभिन्न माध्यमों से अनुज्ञाधारक श्री आकश जैन के विरूद्ध उप खनिज के निस्तारण में की जा रही अनियमिततों के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी महोदय को शिकायतें प्राप्त होने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्री आकाश जैन को पत्र सं0 1420/एस0पी0ए0-विविध पत्रा0-2023 दिनांक 24 नवम्बर 2023 के माध्यम से नोटिस जारी कर स्पष्टीकारण प्राप्त किया गया, जिसमें इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितओं से इनकार किया गया। दिनांक 05.12.2023 [illegible] मौका पर उप खनिज द्वारा राजकीय कार्य से त्रिवेणी —

का निस्तारण न किये जाने की स्थिति में महोदय द्वारा अनुज्ञाधारक को मौके पर बुलाकर नगर आयुक्त महोदय ऋषिकेश, तहसीलदार महोदय ऋषिकेश आदि के समक्ष उप खनिज का निस्तारण न करने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये निर्धारित समयावधि में उप खनिज का निस्तारण नियमानुसार ततपरता से करने हेतु आदेशित किया गया, तथा यह भी अवगत कराया कि पूर्व में भी आपको नियमानुसार उप खनिज का निस्तारण हेतु आदेशित किया गया है न की कार्य बन्दं करने हेतु कहा गया है।

महोदय मौके पर अनिस्तारित उप खनिज की पैमाईश की गई जो निम्नवत हैः

(1) लम्बाई 13 मीटर X चौडाई 11 मीटर X ऊंचाई 1 मीटर =143 घन मी0
(2) लम्बाई 14 मीटर X चौडाई 11 मीटर X ऊंचाई 0.2 मीटर =30.0 घन मी0
(3) लम्बाई 50 मीटर X चौडाई 2 मीटर X ऊंचाई 0.5 मीटर = 50.0 घन मी0
(4) लम्बाई 8 मीटर X चौडाई 2 मीटर X ऊंचाई 1.2 मीटर = 19.2 घन मी0

कुल = 242. घन मी0

तथा यह भी उल्लेख किया है कि त्रिवेणी घाट एक ऐताहसिक धार्मिक स्थल है जहाँ देश भर से पर्यटक त्रिवेणी घाट माँ गंगा की आरती हेतु भ्रमण पर आते है तथा उक्त स्थल पर महानुभावों का आवागमन भी समय-समय पर होता रहता है। शहर वासियों द्वारा उक्त स्थल पर समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है। उपरोक्त उप खनिज का निस्तारण जल्द से जल्द किये जाने हेतु ही विज्ञप्ति जारी की गई थी ऐसे में दो बार समयवाधि मिलने के उपरान्त भी उप खनिज का निस्तारण न किया जाना अफसोस का विषय है महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त उप खनिज के निस्तारण हेतु संयुक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा प्रेषित।

महोदय उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही बरती गई एंव ससमय पूर्णतः मलबा नही उठाया गया है। त्रिवेणी घाट एंक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होने के क्रम में महोदय से अनुरोध है कि उक्त अवशेष मलबे को निस्तारित किये जाने हेतु (प्रेशर पाईप के माध्यम से) नगर निगम ऋषिकेश को आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः-यथोपरि

भवदीय,

(योगेश सिंह मेहरा)
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।

ANNEXURE-5

(8)

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2022389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1257 / खनिज–अनु0 / 2024 दिनांक 04 जनवरी, 2024

मुख्य नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश।

विषयः– तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉर्म एवं अन्य स्थल पर एकत्रित उपखनिज का प्रेशर पाईप के माध्यम से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या–1404 / एस0पी0ए0 / 2023 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि मानसून काल में अतिवृष्टि के कारण त्रिवेणी घाट पार्किंग में सिल्ट जमा हो गया था, जिसका राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम ऋषिकेश, खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के दौरान उप खनिज की कुल मात्रा 696.50 घनमीटर–696.50x1.8=1253.7 टन मापी गई थी, जिसकी नीलामी पत्रांक 1263 / एस0पी0ए0–नीलामी सू0–2023 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के माध्यम से नीलामी की शर्ते व सूचना प्रकाशित की गई। दिनांक 27.10.2023 को नगर निगम ऋषिकेश के समागार में नीलामी सम्पन्न की गई, अधिकतम बोलीदाता श्री आकाश जैन को जिलाधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 1161 / खनिज–अनु0 / 2023 दिनांक 06 नवम्बर 2023 के द्वारा त्रिवेणी घाट में जमा उप खनिज के निस्तारण हेतु दिनांक 07.11.2023 से 16.11.2023 तक 10 दिनों की अनुमति सशर्त प्रदान की गई, तथा जिलाधिकारी देहरादून के संशोधित आदेश सं0 1184 / खनिज–अनु0 / 2023 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 08.12.2023 तक पुनः सशर्त अनुमति प्रदान की गई। अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही बरती गई एवं ससमय पूर्णतः मलबा नहीं उठाया गया है। मौके पर अनिस्तारित उप खनिज की पैमाइश की गई जो निम्नवत हैः–

(1) लम्बाई 13 मीटर x चौडाई 11 मीटर x ऊंचाई 1 मीटर	= 143 घन मी0
(2) लम्बाई 14 मीटर x चौडाई 11 मीटर x ऊंचाई 0.2 मीटर	= 30.0 घन मी0
(3) लम्बाई 50 मीटर x चौडाई 2 मीटर x ऊंचाई 0.5 मीटर	= 50.0 घन मी0
(4) लम्बाई 8 मीटर x चौडाई 2 मीटर x ऊंचाई 1.2 मीटर	= 19.2 घन मी०
कुल	= 242.2 घन मी0

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश की उपरोक्त आख्या में मौके पर शेष मलवे को नगर निगम ऋषिकेश के माध्यम से निस्तारित करवाये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉर्म एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज को प्रेशर पाईप के माध्यम से तत्काल निस्तारण करवाते हुये निस्तारण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

ह0 / –
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
04.01.2024

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र संख्या–1404 / एस0पी0ए0 / 2023 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Tehsil

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

ANNEXURE-6

प्राप्त 28/11/2023

सेवा में, दिनांक: 26/11/2023

उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील ऋषिकेश
जिला - देहरादून

विषय :- त्रिवेणी घाट से रेत निस्तारण को हुई नीलामी के सम्बन्ध में |

महोदय,

जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 1161 दिनांक 06 नवम्बर 2023 एवं पत्र संख्या 1184 दिनांक 18 नवम्बर 2023 के सन्दर्भ में प्रार्थी को आपका नोटिस संख्या 1420 दिनांक 24 नवम्बर 2023 व्हाट्सप्प के माध्यम से प्राप्त हुआ | महोदय प्रार्थी को आवंटित रेत का निस्तारण करने का आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से मिला था जिसमे कुछ शर्ते लिखी थी जिनका प्रार्थी ने पूर्ण रूप से पालन किया था | प्रार्थी ने उक्त काम में कोई भी अनियमित्ता नहीं बरती तथा जो भी कार्य हुआ वह तहसील एवं पुलिस प्रशासन एवं गंगा सभा की मौजूदगी में हुआ है |

महोदय जो भी अनियमितताएं या फिर सूर्यास्त के बाद काम का हवाला दिया गया वह प्रशासन की रजामंदी से ही हुआ है कुकी छठ एवं दीपावली का त्यौहार की वजह से मार्किट एरिया होने के कारण दिन में वह से रेता निकासी संभव नहीं है | जिस दिन से आपके यह से सूर्योदय के बाद काम न करने की हिदायत मिली उस दिन से काम बंद है कुकी दिन में निकासी एवं रात को लेबर कार्य नहीं कर सकती | यह परिस्थिति से तहसीलदार महोदय को नीलामी वाले दिन भी अवगत करा दिया गया था |

1. प्रार्थी ने स्थल से कोई RBM नहीं उठाया है |
2. प्रार्थी ने जिलाधिकारी कार्यालयादेश पत्र में अनुमोदित पांचो शर्तों का कोई उलंघन नहीं किया है तथा पांचो शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया है |
3. दिन में उस जगह पर्यटक स्थल एवं मार्किट होने से कार्य नहीं किया जा सकता |
4. छठ से पहले तक हमारे कार्य से किसी को दिक्कत नहीं थी किन्तु जिस दिन से ब्लैकमेलर रामकृपाल गौतम एवं पत्रकार कृष्ण मुरारी जिसने हमरी मशीन तोड़ी की रिपोर्ट कराई तबसे हमे मौके पर कार्य करने में अप्पत्ति आ गयी |
5. आप मौके के सी० सी० टी० वी० फुटेज , प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया फोटोग्राफ्स एवं 18 नवम्बर से रोजाना आपकी तहसील के अधिकारिओ द्वारा कराई गयी जांच एवं विजिट से तथा वर्तमान की स्थिति देख सकते है की मौके पर किसी प्रकार द्वारा कोई गड्ढा नहीं खोदा गया |
6. जो विडिओ एवं फोटोग्राफ्स मिले है वो प्रार्थी के साइट के नहीं हैं वो फ्रेम करके पुराने एवं अन्य जगह के हैं आप मौका निरिक्षण करके पता कर सकते है की मौके पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा |
7. वहाँ की फुटेज देख कर आपको पता लगेगा की 18 एवं 19 तारिख को वहाँ पर प्रार्थी के अलावा दो मशीन किसी लोकल असामाजिक तत्वों ने मंगाई थी, जो की वह पर प्रार्थी के द्वारा नीलामी में लिया गया उपखनिज से छेड़छाड़ की एवं उठा के गंगाजी में डाला गया |
8. प्रार्थी अपना पक्ष रखते हुए आपको यह बताना चाहता है की प्रार्थी को जो काम रेत निस्तारण का मिला है वह कोई खनन नहीं है जो नदी तल या किसी भूमि विशेष पर चल रहा हो, यह एक पर्यटक स्थल एवं सरकारी भूमि के ऊपर एकत्रित रेत है जो की एक प्लेटफार्म पर भण्डारण किया हुआ है, अतः महोदय इसमें मशीन या लोडर से रेत का उठान मान्य होना चाहिए |
9. वह स्थल एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर 24 घण्टे प्रयटक एवं साधु संत समाज उपस्थित रहता है, जगह जगह सी० सी० टी० वी० लगे हुए हैं अतः वहां पर किसी प्रकार से अवैध खनन करने का मौका असंभव है, प्रार्थी ने उक्त स्थल पर कोई अवैध खनन नहीं किया है|

10. स्थल पर कोई पट्टा नहीं है एक भण्डारण है जहाँ पर 2013 से यही काम हर वर्ष चलता आ रहा है, तथा जिस प्रकार से प्रार्थी कर रहा है ऐसे ही होते आया है | उक्त मौके का कभी इसी कारणवश सीमांकन नहीं होता है | न प्रार्थी को कोई कॉर्डिनेट्स उपलब्ध प्रशासन द्वारा किये गए |

अतः प्रार्थी आपसे निवेदन करता है की प्रार्थी की विनती सुनें तथा कार्य करने की उचित अनुमति देने की कृपा की कृपा करें, क्योकि आपके प्रशासन द्वारा 24 नवम्बर से मौके पर कार्य बंद कराया जा चुका है | प्रार्थी ने उक्त उपखनिज का पैसा जमा किया है जिसमे लगभग 440 मीट्रिक टन उपखनिज प्रार्थी का वहाँ शेष है |

आपकी अति कृपा होगी |

प्रार्थी

26.11.23

आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश जैन
निवासी - 344, श्यामपुर, ऋषिकेश
+918954381514

प्रतिलिपि -

1. जिलाधिकारी महोदया देहरादून
2. प्रभारी खनन महोदया, देहरादून
3. तहसीलदार महोदय, ऋषिकेश
4. थानाध्यक्ष महोदय ऋषिकेश

158

: : आदेश : :

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या–1238/एस0पी0ए0–विविध पत्रा0/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 एवं उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा दिनांक 01.11.2023 के द्वारा प्रेषित तहसीलदार ऋषिकेश के पत्र संख्या–1019/आर0सी0–नीलामी–2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के आधार पर तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उप खनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर की नीलामी दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न हुई है, जिसमें उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा रू0 96,000.00 लगाई गयी। बोलीदाता के द्वारा रायल्टी की धनराशि रॉयल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1,755.00 तथा रॉयल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 8776.00 तथा रॉयल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु रू0 13,164.00 तथा रायल्टी उच्चतम बोली के रूप में 96,000.00 को लेखाशीर्षक एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करा दिये गये है।

एतदद्वारा निम्न लिखित शर्तो के अधीन उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर के परिवहन हेतु दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 16.11.2023, अर्थात् 10 दिन की अनुमति निम्न लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1– अनुज्ञाधारक अनुमत स्थल से उपखनिज की नीकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुँचे।

2– अनुज्ञाधारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष/सड़क को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचायेगा।

3– अनुज्ञाधारक द्वारा डम्पिंग जोन से रेत उपखनिज का परिवहन करते समय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

4– अनुज्ञाधारक को उक्त कार्य उपरोक्त अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

5– अनुज्ञाधारक प्रस्तावित स्थल से उत्खनिज उपखनिज को अन्यत्र प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम०एम०–11 पर करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 01 से 05 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

ह0/–
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
03.11.2023

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1161 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 06 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून।
5– उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर प्रगति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करा लिया जाय।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सुभाष रोड देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
8– थानाध्यक्ष, थाना ऋषिकेश।
9– श्री आकाश जैन पुत्र श्री श्री मुकेश मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

ANNEXURE-8

: : संशोधित आदेश : :

उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या–1238/एस0पी0ए0–विविध पत्रा0/2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 एवं उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा प्रेषित तहसीलदार ऋषिकेश के पत्र संख्या–1019/आर0सी0–नीलामी–2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2023 के आधार पर तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उप खनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर की नीलामी दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न हुई है, जिसमें उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून के द्वारा रू0 96,000.00 लगाई गयी। बोलीदाता के द्वारा रायल्टी की धनराशि रॉयल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1,755.00 तथा रॉयल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 8776.00 तथा रॉयल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु रू0 13,164.00 तथा रायल्टी उच्चतम बोली के रूप में 96,000.00 को लेखाशीर्षक एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करा दिये गये है।

एतदद्वारा निम्न लिखित शर्तों के अधीन उच्चतम बोलीदाता श्री आकाश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत (त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित) उपखनिज रेत की मात्रा कुल 1253.7 टन यानि 696.50 घनमीटर के परिवहन हेतु पुनः दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 08.12.2023 अर्थात् 20 दिन की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1– अनुज्ञाधारक अनुमत स्थल से उपखनिज की नीकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुँचे।

2– अनुज्ञाधारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष/सड़क को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचायेगा।

3– अनुज्ञाधारक द्वारा डम्पिंग जोन से रेत उपखनिज का परिवहन करते समय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

4– अनुज्ञाधारक को उक्त कार्य उपरोक्त अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

5– अनुज्ञाधारक प्रस्तावित स्थल से उत्खनिज उपखनिज को अन्यत्र प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम०एम०–11 पर करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 01 से 05 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।

ह0/–
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।
17.11.2023

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1184 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून।
5– उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर प्रगति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करा लिया जाय।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सुभाष रोड देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
8– थानाध्यक्ष, थाना ऋषिकेश।
9– श्री आकाश जैन पुत्र श्री श्री मुकेश मुकेश कुमार जैन निवासी 344, श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण उपखनिज का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।